

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 4082 /2024 दिनांक :05.12.2024

श्रीमती अनु चौधरी (RJ00439), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर को दिनांक 05.11.2024 से 08.11.2024 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 09.11.2024 से 10.11.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/72/2002/ / 0/66

दिनांक :05.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर को उनके पत्रांक 565 दिनांक 26.11.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनु चौधरी (RJ00439), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार